



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-248/2022 दिनांक 06.09.2022)

दिनांक- 06.09.2022 को 6-September-2022जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-04)

थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1.महन्त पुत्र सुकई साकिन दहारी पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 2.भोज प्रसाद पुत्र वंशी साकिन दहारी पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 24 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-292/2022,293/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1.राधेश्याम पुत्र रामवृक्ष साकिन पिपराबर सिवान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 2.रहीम पुत्र स्व0 जंगली साकिन पटेरा बुजुर्ग थाना ने0 नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 45 शीशी देशी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-316/2022,317/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मोटर साईकिल से ले जायी जा रही 120 अदद फ्रूटी अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 14000/- रु0) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जयसवाल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2022 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा तमकुहीराज NH 28 के पास से एक मोटर साईकिल नं0 BR 28 Q 4937 से ले जायी जा रही अंग्रेजी शराब 8 PM की कुल 120 अदद फ्रूटी कीमत लगभग 14000/- रु0 के साथ एक अभियुक्त रामू कुमार पुत्र छोटेलाल सोनी सा0 महाराजगंज थाना महाराजगंज जनपद सिवान बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 86/22 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त-

रामू कुमार पुत्र छोटेलाल सोनी सा0 महाराजगंज थाना महाराजगंज जनपद सिवान बिहार

बरामदगी का विवरण-

1.मोटर साईकिल नं0 BR 28 Q 4937

2.अंग्रेजी शराब 8PM 180ml की कुल 120 अदद फ्रूटी (कीमत करीब 14000/-रूपये)।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अवश्वनी कुमार राय थाना तमकुहीराज कुशीनगर

2.का0 मानवेन्द्र चन्द्र, थाना तमकुहीराज कुशीनगर

3.का0 राजन चौहान थाना तमकुहीराज कुशीनगर

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्तों क्रमशः 1. मु0नं0 2973/17 धारा 60 आबकारी अधि0 से सम्बंधित अभियुक्त पुजारी साहनी पुत्र सुदर्शन साहनी साकिन लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर 2. मु0नं0-972/16 धारा 60 आबकारी अधि0 से सम्बंधित अभियुक्त सुमेर पुत्र दौलत राजभर साकिन लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर 3. मु0नं0-10518/22 धारा 60 आबकारी अधि0 से सम्बंधित अभियुक्त बब्बू शर्मा पुत्र मुन्नर शर्मा साकिन लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटीगण-

1.पुजारी साहनी पुत्र सुदर्शन साहनी साकिन लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

2.सुमेर पुत्र दौलत राजभर साकिन लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

3.बब्बू शर्मा पुत्र मुन्नर शर्मा साकिन लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-



Edit with WPS Office

- 1.उ0नि0 उमेश कुमार यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 3.का0 राकेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 02 अदद मोटर साईकिल वाहन कीमत लगभग 1,20000/- रुपये (एक लाख, बीस हजार रुपये) की सम्पत्ति गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र कालरा के कुशल पर्वेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.09.2022 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर के आदेश के क्रम गैगेस्टर एक्ट के अपराधी 1.बलिस्टर दास पुत्र नन्दू दास निवासी शिक्षकनगर टाउन थाना नगर नवादा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार, 2.परमेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र नवलदत्त तिवारी निवासी रानीपाकड़ थाना मुफस्सिल जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्ध एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त बलिस्टर दास उपरोक्त के नाम से पंजीकृत वाहन- 01. एक अदद दो पहिया वाहन ग्लैमर तथा अभियुक्त परमेन्द्र कुमार तिवारी के नाम से पंजीकृत वाहन- 01. एक अदद दो पहिया वाहन टी0बी0एस0 स्टार को धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबन्ध एवं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

(कीमत लगभग 1,20000/- रुपये, एक लाख, बीस हजार रुपये)

1.ग्लैमर चेचिस नं0 MBJAW219MGJO4588

2.टी0बी0एस0 स्टार चेचिस नं0 MD625AK28N3A00487

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 2.निरीक्षक श्री अरविन्द यादव थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 3.उ0नि0 श्री अभिषेक विश्वकर्मा थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 4.का0 दीपक सिंह थाना पटहेरवा कुशीनगर
- 5.का0 जयहिन्द यादव थाना पटहेरवा कुशीनगर



जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 11 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-19 वाहन।

2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-22, व्यक्ति-75

3.वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-03)

4.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही मु0-05, अभि0-05, बरामदगी- 24 ली0 अवैध कच्ची, 45 शीशी देशी शराब। 120 अदद फ्रूटी अंग्रेजी शराब।

5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-19)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

